राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 05 JUL 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुबन्ध प्रमाण पत्र जारी करने के कम में।
प्रसंगः **इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 31.01.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस विभाग के पत्र दिनांक 31.01.2013 के बिन्दु संख्या 3 पर यह निर्देश दिये गये हैं कि **"यदि किसी संविदा कार्मिक ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में राज्य में एक या एक से अधिक जिलों में एक या अलग–अलग पदों पर कार्य किया है तथा वर्तमान में योजना में कार्यरत है, तो उसके द्वारा किसी भी पद पर किसी भी जिले में किये गये कार्य को उसके अनुभव में शामिल किया जाएगा। उसे अनुभव का लाभ उसके वर्तमान संविदा पद के लिए की जा रही नियमित पद हेतु भर्ती के लिए ही दिया जाएगा।"**

इन निर्देशों का आशय यह है कि कोई संविदा कार्मिक यदि एक ही पद पर अलग–अलग जिलों में कार्य करता है तो उस पद पर उसका अनुभव दोनों जिलों में किये गये कार्य को शामिल करते हुए माना जायेगा। इस संबंध में कई जिलों से यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि यदि कोई संविदा कार्मिक दो अलग–अलग पदों पर एक ही जिले में या अलग–अलग जिलों में कार्य करता है तो उसको अनुभव का लाभ किस पद पर दिया जायेगा। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 23 में संशोधन कर किस पद की भर्ती के लिए किस–किस पद पर कार्य के अनुभव को शामिल किया जाएगा, का स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक निश्चित पद की भर्ती के लिए निश्चित पद पर कार्य करने के अनुभव का ही लाभ ले सकता है। कनिष्ठ लिपिक की भर्ती में आवेदक उन संविदा पदों पर कार्य करने के अनुभव का लाभ ले सकता है, जिन पदों के लिए कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए अनुभव का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी संविदा कार्मिक द्वारा एक से अधिक पदों पर कार्य किया गया है तथा वह राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के अन्तर्गत किसी पद की भर्ती के लिए आवेदन करता है तो उसे अनुभव का लाभ केवल उस पद पर किये गये कार्य का ही दिया जा सकता है, जिसका प्रावधान उक्त नियमों के नियम 23 के अन्तर्गत किया गया है। नियम 23 में संशोधन कर किस पद की भर्ती के लिए किस–किस पद पर कार्य के अनुभव को शामिल किया जाएगा, का स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है। इससे भिन्न किसी पद पर किये गये कार्य के अनुभव का लाभ नहीं दिया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कनिष्ठ लिपिक के पद की भर्ती में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के संशोधित नियम 273 के प्रावधानों के अनुसार जिन संविदा पदों के अनुभव का लाभ देने का प्रावधान किया गया है, उन सभी पदों पर किये गये कार्य के अनुभव का लाभ कनिष्ठ लिपिक पद के लिए दिया जा सकता है।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5 अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6 परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9 रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस